

HARYANA VIDHAN SABHA

LIST OF BUSINESS FOR THE MEETING OF THE HARYANA VIDHAN SABHA TO BE HELD IN THE HALL OF THE HARYANA VIDHAN SABHA, VIDHAN BHAWAN, CHANDIGARH, ON TUESDAY, THE 26TH FEBRUARY, 2019 AT 10.00 A.M. (FIRST SITTING)

I. QUESTIONS.

Questions entered in the separate list to be asked and answers given.

II. PAPERS TO BE LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE.

1.	A MINISTER	to lay on the Table the Town & Country Planning Department Notification No.2821, dated the 31 st January, 2019, as required under section 24 (3) of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975.
2.	A MINISTER	to lay on the Table the Twelfth Report of State Information Commission, Haryana on implementation of the RTI Act, 2005 (1.1.2017 to 31.12.2017), as required under section 25 (4) of the Right to Information Act, 2005
3.	A MINISTER	to lay on the Table the Annual Report of Haryana State Pollution Control Board for the year 2015-2016, as required under section 39 (2) of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.
4.	A MINISTER	to lay on the Table the 52 nd Annual Report of the Haryana Public Service Commission for the year 2017-2018 (April 1, 2017 to March 31, 2018), as required under Article 323 (2) of the Constitution of India
5.	A MINISTER	to lay on the Table the Annual Report of Haryana Khadi & Village Industries Board for the year 2012-2013, as required under section 19 (3) of the Comptroller and Auditor-General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.
6.	A MINISTER	to lay on the Table the Annual Report of Haryana Khadi & Village Industries Board for the year 2013-2014, as required under section 19 (3) of the Comptroller and Auditor-General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.
7.	A MINISTER	to lay on the Table the Annual Report of Haryana Khadi & Village Industries Board for the year 2014-2015, as required under section 19 (3) of the Comptroller and Auditor-General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.
8.	A MINISTER	to lay on the Table the Annual Report of Haryana Human Rights Commission for the year 2016-18, as required under section 28 (2) of the Protection of Human Rights Act, 1993.
9.	FINANCE MINISTER	to lay on the Table the Finance Accounts (Volume-I &II) for the year 2017-2018 of the Government of Haryana in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.
10.	FINANCE MINISTER	to lay on the Table the Appropriation Accounts for the year 2017-2018 of the Government of Haryana in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

III. BUDGET FOR THE YEAR 2019-2020.

GENERAL DISCUSSION on the Budget Estimates for the year 2019-2020.

**CHANDIGARH:
THE 25TH FEBRUARY, 2019.**

**RAJENDER KUMAR NANDAL,
SECRETARY.**

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 26 फरवरी, 2019 को 10.00 बजे प्रातः विधान भवन, चण्डीगढ़ में हरियाणा विधान सभा के हाल में होने वाली हरियाणा विधान सभा की बैठक की कार्यसूची (प्रथम बैठक)।

I. प्रश्न

पृथक सूची में दर्ज प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उत्तर दिए जाएंगे।

II. सदन की मेज पर रखे जाने वाले कागज-पत्र ।

1. एक मंत्री हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 24 (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार ग्राम तथा नगर आयोजना विभाग अधिसूचना संख्या 2821, दिनांकित 31 जनवरी, 2019 मेज पर रखेंगे।
2. एक मंत्री सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 (4) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (1.1.2017 से 31.12.2017) के लागू होने पर राज्य सूचना आयोग, हरियाणा की 12वीं रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
3. एक मंत्री जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39 (2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2015-2016 के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
4. एक मंत्री भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 (2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2017-2018 (1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018) के लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग की 52वीं वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
5. एक मंत्री नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2012-2013 के लिए हरियाणा खादी एवं ग्राम-उद्योग बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
6. एक मंत्री नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2013-2014 के लिए हरियाणा खादी एवं ग्राम-उद्योग बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
7. एक मंत्री नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2014-2015 के लिए हरियाणा खादी एवं ग्राम-उद्योग बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
8. एक मंत्री मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम, 1993 की धारा 28 (2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2016-2018 के लिए हरियाणा मानव अधिकार आयोग की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
9. वित्त मंत्री भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के उपबंधों के अनुसरण में हरियाणा सरकार के वर्ष 2017-2018 के लिए वित्तीय लेखे (भाग-I तथा II) मेज पर रखेंगे।
10. वित्त मंत्री भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के उपबंधों के अनुसरण में हरियाणा सरकार के वर्ष 2017-2018 के लिए विनियोग लेखे मेज पर रखेंगे।

III. वर्ष 2019-2020 के लिए बजट

वर्ष 2019-2020 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा।

चण्डीगढ़
25 फरवरी, 2019.

राजेन्द्र कुमार नांदल,
सचिव।